न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

न अधिकारी–

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
33 / प्रा0पत्र / 19	29.01.2019	18.03.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, नैंनवा।

–प्रार्थी

बनाम

नीमलाल आ0 छीतर जाति कुम्हार निवासी ढाढून तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थी की ओर से – श्री रमेश जैन एड0

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा अंतर्गत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी नीमलाल को किया गया भूमि आवंटन ख.सं. 428 रकबा 3 बीघा, ख.सं. 575 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खानिका तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। इसी अप्रार्थी के नाम आवंटित भूमि खसरा संख्या 369 रकबा 4 बीघा ग्राम ढाढून में दिनांक 11.06.1999 को आवंटित की गई है को भी निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दोनों प्रकरण एक ही व्यक्ति तथा समान प्रकृति के होने से इनका एक साथ दिनांक 05.08.2003 को निर्णय पारित कर आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 निरस्त किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2003 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अप्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 09.03.2007 को निर्णय पारित कर अपील अपीलांट खारिज कर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2003 बहाल रखा गया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 09.03.2007 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अप्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 08.01.2019 को निर्णय पारित कर अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2003 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित दिनांक 09.03.2007 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया है कि उनके निर्णय के विवेचन व प्रकरण में निहित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को विधिवत सुनते हुये पुनः नियमानुकुल निर्णय पारित करे। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

बहस वकील अप्रार्थी व पेरोकार सरकार समाअत की गई।

कलक्टर

...क दौरान पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि प्रकरण माननीय राजस्व ...स्थान अजमेर से प्रतिप्रेषित हुआ है। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रकरण का ...ण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्याय संगत होगा।

बहस के दौरान अप्रार्थी के वकील ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी एक भूमिहिन कृषक की श्रेणी में आता है। आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रार्थी के आवंटन की पात्रता रखने पर ही विधि अनुकूल मजमें आम में आवंटन किया गया है। आवंटित भूमियों की नियमानुसार उद्घोषणा जारी की गई है। आवंटी द्वारा बवक्त आवंटन किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया गया है। अप्रार्थी के परिवार के पास 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। अपीलार्थी के 6 भाई 1 बहन और 1 माँ भी है। उक्त भूमि में से अप्रार्थी के नोशनल शेयर में मात्र 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्से में आती है। आवंटित भूमि व नोशनल शेयर से प्राप्त भूमि को जोड़ने पर भी अप्रार्थी के पास 15 बीघा भूमि से अधिक भूमि नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत तथ्य छुपाकर अथवा मिथ्या तथ्य प्रकट करने पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अतः तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 428 रकबा 3 बीघा, 575 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खानिका एवं खसरा संख्या 369 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम ढाढून आवंटन दिनाकं 11.06.1999 को बहाल रखा जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2018 पेज 479 एच. सी., आरएलडब्लू 2002 रेवे. पेज 131, आरआरडी 1975 एनयूसी पेज 49 एवं आरआरडी 2001 पेज 467 की नजीरें पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्डानुसार अप्रार्थी को खसरा संख्या 528 रकबा 3 बीघा, 575 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खानिका एवं खसरा संख्या 369 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम ढाढून में मुकाम मोड़सा पर दिनाकं 11.06.1999 को भूमियों का आवंटन किया गया है। दोनों आवंटन पत्रावलियों के अवलोकन एवं पटवारी रिपोर्ट से यह विदित होता हैं कि बवक्त आवंटन अप्रार्थी के परिवार के पास 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। अप्रार्थी के वकील का यह तर्क कि अप्रार्थी के नोशनल शेयर से 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि हिस्से में आती हैं से हम पूर्णतया सहमत है। अप्रार्थी को आवंटित भूमियों का कुल रकबा 9 बीघा होता हैं जिसमें नोशनल शेयर से प्राप्त भूमि को जोडने पर कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा होता है जो 15 बीघा से अधिक नहीं हैं। आवंटित भूमि अप्रार्थी की अतिक्रमित भूमि थी, उक्त आवंटित भूमि की विधिवत उद्घोषणा आवंटन अधिकारी/आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई हैं जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष निहित नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर भूमियों का आवंटन करवाया गया हो प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं।

अतएवः परिणाणस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 428 रकबा 3 बीघा, 575 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खानिका एवं खसरा संख्या 369 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम ढाढून में मुकाम मोड़सा आवंटन आदेश दिनाकं 11.06.1999 यथावत रखा जाता हैं। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक

पालना में भूमियां राजकीय सिवायचक दर्ज कर दी गई हो तो उन्हें
पर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसले में
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी